# Bihar Administrative Service Association
(Registration No-633/2003)

**Shashank Shekhar Sinha**
**President**
Mob. No.-9334118192

सत्यमेव जयते

**Sunil Kumar Tiwary**
**General Secretary**
Mob. No.- 9431085120

**Vice President**
Ajay Kumar
9835737317

Subodh Kumar
7979919465

**Joint Secretary**
Chandrashekhar Azad
8987044905

Vikash Kumar
7717770977

**Treasurer**
Shashi Shekhar
9334557086

Memo No 43 Date 26.08.2023

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:-बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996 (अधिसूचना संख्या -12/नि०-1035/91 का०-2310, दिनांक-14.03.1997-अनुलग्नक-1) में संशोधन या नई सेवा नियमावली के संबंध में ।

महाशय,

राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर एक उत्तरदायी, संवेदनशील, सक्रिय एवं प्रभावी प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरवर्ती राज्य में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के संवर्गीय पदों को प्रशिक्षण सुरक्षित सहित कुल पद बल-2877 चिन्हित किया गया था (संकल्प ज्ञापांक संख्या-12/नि०-1016/04 का०-6070, दिनांक-04.06.2008-अनुलग्नक-2) ।

(क) बिहार राज्य पुनर्गठन के पश्चात बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग की संख्या एवं संरचना के समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा आकलन किया गया कि :-

(i) अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार प्रदेश की प्रशासनिक सेवा के सदस्य बहुत अधिक उम्र होने पर अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत होकर समाहर्त्ता के पद पर पहुँच पाते हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय प्रशासन में युवा तथा परिश्रमी पदाधिकारी की कमी रहती है ।

(ii) इस समस्या के समाधान के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रथम नियुक्ति के अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी / समकक्ष स्तर पर पदस्थापित करते हुए इतनी संख्या रखी जाए कि आगे वरीय पदों पर प्रोन्नति शीघ्र हो सके ।

(iii) इसके लिए या तो उप-समाहर्त्ता संवर्ग से अलग एक अवर उप-समाहर्त्ता सम्वर्ग का दुबारा गठन किए जाने या फिर प्रखंड तथा अंचल में पदस्थापन हेतु अधीनस्थ राजस्व सेवा एवं अधीनस्थ ग्रामीण विकास सेवा के गठन पर विचार किया गया (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प ज्ञापांक-12/नि०-1004/08का०-6183, दिनांक-06.06.2008 द्रष्टव्य- **अनुलग्नक-3**) ।

(ख) उपरोक्त पृष्ठभूमि के दृष्टिगत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा को राज्य सरकार ने "प्रीमियर सेवा" का दर्जा देते हुए इस सेवा के सदस्यों को नीति निर्धारण तथा प्रशासन से संबंधित उच्च पदों पर अपेक्षाकृत कम आयु में पदस्थापित होकर कार्य करने के बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु सेवा संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए संवर्गीय पदों की संख्या कुल पद बल-851 निर्धारित करते हुए संरचना में निम्न परिवर्तन किया गया (संकल्प ज्ञापांक-12/नि० -1004/08का०-942, दिनांक-28.01.2010- **अनुलग्नक-4**) । **यथा :-**

(i) पदों की संख्या, वेतनमान, पदवार कालावधि इत्यादि महत्वपूर्ण बिन्दुओं को निर्धारित किया गया ।

(ii) बिहार प्रशासनिक सेवा में प्रथम नियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारी या समकक्ष ग्रेड में करने का निर्णय लिया गया ।

(iii) यह भी निर्णय लिया गया कि बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड के अधिकारी प्रखंड / अंचल / नगर निगम / नगर निकाय एवं प्राधिकार आदि में पदस्थापित नहीं किए जाऐंगे । इसी प्रकार चकबंदी / बन्दोबस्त / आपूर्त्ति / निर्वाचन तथा अन्य सभी विभागों के वेतनमान 8000-13500/- (अपुनरीक्षित) के समकक्ष या इससे नीचे के पदों पर उनकी सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाएगी तथा प्रखंड एवं अंचलों से चरणबद्ध ढंग से इन्हें हटा लिया जाएगा ।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप निर्धारित पद बल अधिसूचित करेगा तथा पूर्व से चिन्हित शेष पदों को विभिन्न विभागीय संवर्गों से प्रोन्नति द्वारा भरने के लिए उपलब्ध समझा जाएगा, जिसके लिए सभी संबंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर नियमावली बना लेंगे या संशोधित कर लेंगे ।

(v) इस आलोक में कुछ पदों को उत्क्रमित एवं कुछ पदों को अवक्रमित करते हुए पदनाम, सृजन एवं परिवर्तन भी किया गया ।

(vi) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा में 25% पदों को भरने की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(vii) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था करने का भी निर्णय लिया गया ।

(ग) बिहार राज्य के पुनर्गठन के पश्चात से लगातार बिहार सरकार द्वारा प्रशासनिक तंत्र को विकासोन्मुखी, जनोन्मुखी, पारदर्शी, जबावदेह एवं गतिशील बनाए रखने हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का तदर्थ रूप से लगातार पुनर्गठन किया जा रहा है ।

इस सेवा के चिन्हित सभी पदों को समेकित रूप से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अद्यतन पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान में कुल स्वीकृत पद बल-1634 चिन्हित किया गया है (सामान्य प्रशासन विभाग का स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक संख्या-12/वि०-5005/16सा०प्र०-6646, दिनांक-22.05.2018- **अनुलग्नक**-5) ।

(घ) बिहार सरकार के उपरोक्त संकल्पों एवं निर्णयों से उद्भूत विभिन्न महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर ध्यानाकृष्ट करते हुए अनुरोधपूर्वक कहना है कि :- बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग पुनर्गठन के साथ ही मूलतः प्रखंड एवं अन्य स्तरों पर भी विभिन्न विभागों द्वारा अधीनस्थ सेवा संवर्गों का गठन कर विस्तृत नियमावली निर्मित की गई है । **यथा**:- बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010, बिहार ग्रामीण विकास सेवा नियमावली, 2010, बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010, बिहार परिवहन सेवा नियमावली, 2020, बिहार आपूर्त्ति सेवा नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधन सहित), बिहार नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2021 ।

(ड.) उपरोक्त नियमावलियों एवं संकल्पों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल चरित्र में परिवर्तन की अपेक्षा की गई है ।

(i) उपरोक्त अन्य सेवा संवर्गों के अभाव में पूर्व की व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा का मूल कार्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन अब अन्य अधीनस्थ सेवा संवर्गों को प्रदान किया गया है तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के स्थान पर बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग से योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण (कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना), पर्यवेक्षण एवं अन्य अधीनस्थ सेवाओं के कर्त्तव्य निर्वहन में मार्गदर्शन करते हुए सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप विभिन्न योजनाओं की परिकल्पना, नीति निर्धारण तथा प्रशासन से संबंधित उच्च पदों पर भी क्षेत्रीय प्रशासन का अनुभव एवं युवा तथा परिश्रमी, उर्जावान पदाधिकारियों का सरकार के सभी स्तरों पर समायोजन की अपेक्षा की गई है ।

(ii) सामान्यतः राज्य प्रशासनिक तंत्र क्षेत्रीय एवं मुख्यालय सहित सभी स्तरों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के नेतृत्व में काम करता है तथा सभी स्तरों पर उनकी सहायता हेतु एवं उनके मार्गदर्शन-नियंत्रण में बिहार प्रशासनिक सेवा को अन्य सेवाओं से वरीयता प्रदान कर प्रशासन में वरीयता, अनुशासन, उत्तरदायित्व एवं chain of command की निरन्तरता एवं गतिशीलता बनी रहती है । ''प्रीमियर सेवा'' की परिकल्पना भी इस अवधारणा को सम्पुष्ट करता है ।

(iii) मुख्यालय स्तर पर सुरक्षित, floating पद एवं विशेष कार्य पदाधिकारी जैसे नवाचार स्वागत योग्य कदम हैं । किन्तु राज्य प्रशासनिक तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण, आवश्यक एवं सुदृढ़ कड़ी जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के सामान्य नियंत्रण एवं अनुश्रवण में सरकार के सभी विभागों के कार्य सम्पादित होते हैं जिसमें मूलत: बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को उनके द्वारा अपनी शक्ति का निरूपित कर ही यह संभव हो पाता है । ऐसे में अन्य सभी सेवाओं (अधीनस्थ सेवा सहित) में विकसित हो रहे ''बिहार प्रशासनिक सेवा से समकक्षता भाव'' जिला प्रशासन के सामान्य समन्वय, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं chain of command की स्थिति एवं प्रभाव को कमजोर कर रहा है ।

विदित हो कि पिछले कुछ वर्षों में इस प्रीमियर सेवा में चयनित कई पदाधिकारियों द्वारा पद त्याग कर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवाओं में वापसी की जा रही है ।

(iv) वर्तमान में प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी / राजस्व अधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड साख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आदि द्वारा महत्वपूर्ण तरीके से अपने विभागों से संबंधित दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है । इसमें सामान्यत: प्रखंडों के वरीय प्रभारी के रूप में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों से सभी विभागों में समन्वय, अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है ।

(v) विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित इन नियमावलियों से स्पष्ट होता है कि सामान्यत: सभी विभागों में अन्य एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग के वेतनमान, सेवा शर्त्तों से संबंधित विषयों में बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के समकक्ष या समानान्तर व्यवस्था रखने की प्रवृत्ति है जो वर्ष 2010 के संकल्प की मूल भावनाओं के विपरीत तथा प्रशासनिक तंत्र के सभी स्तरों को कमजोर करने वाला है ।

(च) वर्तमान में प्रोन्नति के उच्चतम एवं उच्चतर स्वीकृत पद सामान्यत: रिक्त हैं तथा जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति 31 वर्ष पूर्व 1992 में हुई थी, उनमें से भी अधिकांश अभी अपर समाहर्त्ता के पद पर हीं कार्यरत / सेवानिवृत्त (हो रहे) हैं, जबकि राज्य सेवा के ही अन्य संवर्ग **यथा** :- बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा, बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा इत्यादि संवर्ग के समकक्ष पदाधिकारी बहुत पूर्व ही संयुक्त सचिव स्तर के समकक्ष पदों पर प्रोन्नति प्राप्त कर चुके हैं ।

इसके अतिरिक्त राज्य के गैर प्रशासनिक सेवा संवर्ग को भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी प्रविष्टि दिए जाने के निर्णय के साथ बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए

चिन्हित पदों में से संयुक्त सचिव स्तर के कुछ पद पर अन्य सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों का पदस्थापन किया गया है ।

ऐसी स्थिति में दीर्घ अवधि तक प्रोन्नति नहीं होने के कारण दूसरी सेवाओं के कनीय पदाधिकारियों के वरीय स्तर के पद पर प्रोन्नति होने से बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा सेवा शर्तों में कालान्तर में इतनी विसंगतियाँ आ गई हैं कि इस संवर्ग के पदाधिकारियों के पदस्थापन, प्रोन्नति, वेतन विसंगति के मामलों में अपेक्षित एवं न्यायोचित ससमय लाभ लेने हेतु भी संघर्ष करना पड़ रहा है ।

(छ) इस सेवा संवर्ग के लगातार पुनर्गठन किए जाने के निर्णयों से स्पष्ट होता है कि मूलत: संवर्ग की संख्या एवं संरचना पर ही ध्यान दिया गया है किन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल चरित्र में किए गए परिवर्त्तन तथा सरकार की वर्त्तमान प्राथमिकताओं एवं इस सेवा के लिए चिन्हित दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक सुविधा एवं आधारभूत संरचना के संबंध में व्यापक विचारण आवश्यक है ।

(ज) सामान्यत: सभी विभागों द्वारा अपने स्तर से कार्य हित आदि आधारों पर नवगठित अधीनस्थ सेवाओं के सेवा-शर्त्तो एवं सुविधाओं के संबंध में तदर्थ कार्यकारी आदेश निर्गत किए जा रहे हैं । **यथा:-** प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार का आदेश ज्ञापांक-176नि०प्रा०को०, दिनांक-20.06.2023, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सभी समाहर्त्ताओं को निर्गत पत्र ज्ञापांक-3 /वाहन रा०अ० (अंचल-24/2020-331 (3)/रा०, दिनांक-15.05.2023, पंचायती राज विभाग का सभी जिला पदाधिकारियों को निर्गत पत्र ज्ञापांक-1प०/स्था०-3-7/2021/8808पं०रा०, दिनांक-02.08.2023, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को निर्गत पत्रांक-प्र०3-विविध-37/2010-2015, दिनांक-14.03.2011 **(सभी संदर्भित पत्र अनुलग्नक-6)** । उपरोक्त सभी पत्रों द्वारा कार्यालय कक्ष, पूर्णकालिक सहायक, अनुसेवक, वाहन आदि की अपेक्षा की गई है ।

(झ) बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग पुनर्गठन संकल्प, 2010 में ''प्रीमियर सेवा'' के रूप में पदाधिकारियों के प्रवेश कालीन एवं सेवा कालीन प्रशिक्षण के लिए विशेष आवश्यकता का आकलन किया गया था । तदनुरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के पदधिकारियों के बढ़ते कार्यभार, विकास कार्यक्रमों में उत्तरोत्तर वृद्धि, कार्य निष्पादन की नई-नई तकनीक तथा लोक दायित्व में वृद्धि के दृष्टिगत इस सेवा के नवनियुक्त पदाधिकारियों के प्रवेश कालीन प्रशिक्षण की अवधि 80 सप्ताह करते हुए नव निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु इस सेवा संघ की तरफ से विभाग / सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धन्यवाद दिया जाना आवश्यक है (संकल्प ज्ञापांक-18/प्रशि० -01-09/2022सा०प्र० 17214, दिनांक 21.09.2022-**अनुलग्नक-7)** ।

(ञ) इस प्रकार वर्ष 2010 में पुनर्गठित बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग संकल्प के कई महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं के अनुपालन एवं उसकी वर्तमान स्थिति तथा प्रासंगिकता का आकलन आवश्यक है । बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लगातार परिवर्तन एवं पुनर्गठन में सरकार द्वारा पूर्व से लिए गए इस संबंध में निर्णय एवं संकल्पों में निर्धारित कई बिन्दुओं में समन्वय का अभाव एवं कई बार परस्पर विरोधाभासी निर्णय लिए जाने से जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

(त) विदित हो कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1996 अत्यन्त संक्षिप्त है जिसमें पूर्वोक्त बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न निर्णयों एवं संकल्पों के निर्धारित बिन्दुओं को समाहित कर बहुआयामी, सुस्पष्ट एवं विभिन्न अन्य सेवा नियमावलियों की विशिष्टताओं का समायोजन किया जाना आवश्यक है । वर्त्तमान में प्रचलित अति संक्षिप्त बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1996 में विगत् 27 वर्षों में कोई संशोधन नहीं किया गया है ।

(थ) राज्य असैनिक / प्रशासनिक सेवा संघों के अखिल भारतीय महासंघ द्वारा भी मुख्य सचिव, बिहार को मॉडल असैनिक / प्रशासनिक सेवा नियमावली की प्रतिलिपि उनके पत्र संख्या-AIF/45/2023, दिनांक-25 मार्च, 2023 **(अनुलग्नक-8)** द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समरूपता एवं प्रशासनिक कुशलता हेतु आवश्यक राज्य स्तरीय विशिष्टताओं को समाहित करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त कराया गया है ।

(द) पूर्व में भी बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के पत्र संख्या-4, दिनांक 06.01.2020 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था **(अनुलग्नक-9)** ।

(ध) विशिष्टता, दूरदृष्टि, समग्रता एवं प्रशासनिक ढांचे की गतिशीलता तथा संतुलन बनाए रखने के इस कार्य हेतु एकमात्र विशेषज्ञ विभाग के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस प्रवृत्ति पर रोक लगाते हुए समग्रता से विचार करते हुए निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है :-

(i) बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग पुनर्गठन एवं अन्य अधीनस्थ सेवा संवर्गों के गठन के लगभग 10 वर्षों के पश्चात प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी की व्यवस्था समाप्त कर प्रखंड स्तर पर ही प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी पर विश्वास करते हुए अन्य अधीनस्थ सेवाओं पर उनकी वरीयता स्थापित कर सभी पर्यवेक्षकीय संवर्गों पर प्रभावी अनुशासन, समन्वय एवं संतुलन स्थापित हो सकेगा ।

(ii) अपर अनुमंडल पदाधिकारी का पद समाप्त कर उप समाहर्त्ता (राजस्व एवं भूमि सुधार) के तरह उप समाहर्त्ता (विकास एवं समन्वय) बनाकर अनुमंडल स्तरीय प्रशासनिक तंत्र को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाया जा सकेगा । स्वतंत्र अधीनस्थ सेवाओं के गठन के पश्चात वरीय उप समाहर्त्ता पदनाम भी भ्रामक है, इसे समाप्त कर उप समाहर्त्ता पदनाम करने से एकरूपता बनी रहेगी ।

(iii) अन्य अधीनस्थ सेवा संवर्ग का जिला स्तरीय पद द्वितीय प्रोन्नति के पश्चात एवं अनुमंडल पदाधिकारी के समकक्षीय निर्धारित किए जाने से एकरूपता chain of command अधिक प्रभावी हो सकेगा । इस प्रकार बिहार प्रशासनिक सेवा को समूह-'क' सेवा के रूप में वर्गीकृत कर ''प्रीमियर सेवा'' के रूप में रखा जाना वृहत्तर प्रशासनिक हित में आवश्यक है ।

(iv) जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता एवं उप विकास आयुक्त के रूप में दो वरीय पदाधिकारी सरकार के सभी विभागों के वरीय प्रभार में कार्याधिक्य से दबाव में होते हैं । यद्यपि अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन एवं अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण (जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी) का पद स्थायी रूप से सभी जिलों के लिए चिन्हित है, तद्नुरूप पूर्ण पदस्थापन अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त अपर समाहर्त्ता, आपूर्ति, अपर समाहर्त्ता, कल्याण एवं नि:शक्तता आदि पद सभी जिलों के लिए चिन्हित करते हुए जिला प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाया जा सकेगा । इस हेतु नए पद सृजन की आवश्यकता भी नहीं होगी ।

(v) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी राज्य के राजस्व, विकास, निर्वाचन एवं आपदा सहित विधि-व्यवस्था संधारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के सफल निष्पादन में मुख्य भूमिका निर्वहन करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं । वर्ष 2010 के बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग पुनर्गठन संकल्प में उल्लिखित बिहार प्रशासनिक सेवा को ''प्रीमियर सेवा'' का दर्जा देने तथा सरकार के नीति निर्धारण तथा प्रशासन से संबंधित उच्च पदों पर अपेक्षाकृत कम आयु में पदस्थापित होकर कार्य करने के बेहतर अवसर प्रदान करने के दृष्टिगत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए कुछ जिलों में जिला पदाधिकारी एवं राज्य सरकार के सरकारी उपक्रमों / बोर्ड / निगम के प्रबंध निदेशक एवं विभिन्न विभागीय निदेशालय के निदेशक के पदों को चिन्हित कर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदानुक्रम को और अधिक उर्ध्वमुखी बनाये जाने के साथ पदवार चिन्हित पदानुक्रम एवं उसकी कालावधि में समायोजन किया जाना आवश्यक हो गया है ।

(vi) बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को अधिक गहन एवं विस्तृत क्षेत्राधिकार में निरीक्षण, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं त्वरित प्रतिवेदन हेतु इस संवर्ग के सभी पदों के लिए उक्त सुविधाओं सहित अधिक कार्य कुशलता के दृष्टिगत अन्य सुविधाओं के संबंध में नीतिगत एवं पदेन सामान्य प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

(vii) विगत कई वर्षों से बिहार सरकार में सभी पदों पर प्रोन्नति पर रोक लगाई गई है जबकि अधिकांश उच्चतर पदों पर पूर्ण रिक्ति की स्थिति उत्पन्न हो गई है । ऐसी स्थिति में उच्चतर पदों पर कार्यकारी प्रभार के लिए निर्धारित पूर्व-शर्तों के दृष्टिगत अपने वेतनमान में सभी उच्चतर पदों पर पदस्थापित किए जाने से निर्धारित सेवावधि की

शर्त्तों को भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर शिथिल करते हुए अविलंब सभी उच्चतर पदों पर पदस्थापन का मार्ग प्रशस्त होगा ।

(viii) विगत कई वर्षों से प्रोन्नति से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन होने से सभी प्रकार के प्रोन्नति पर रोक लगी हुई है एवं शीघ्र न्याय निर्णयन की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है । ऐसी स्थिति में निर्धारित कालावधि में अनिवार्यतः गतिशील सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन प्रावधान (Dynamic MACP) लागू किया जाना आवश्यक है ।

(ix) उल्लेखनीय है कि राज्य प्रशासनिक तंत्र भारतीय प्रशासनिक सेवा के नेतृत्व में कार्य करता है, जो अनुमंडल दंडाधिकारी स्तर से सेवा प्रारंभ कर 16/17 वर्षों में सचिव स्तर में प्रोन्नत होते हैं तथा प्रधान सचिव के उपरान्त अपर मुख्य सचिव / मुख्य सचिव के स्तर से सेवानिवृत्त होते हैं । पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी अनुमंडल दंडाधिकारी से सेवा प्रारंभ कर प्रधान सचिव स्तर के पद से सेवानिवृत्त होते हैं । अतः बिहार प्रशासनिक सेवा को समूह-'क' सेवा के रूप में चिन्हित करते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी स्तर से प्रारंभ कर नियमित अन्तराल पर प्रोन्नति / वित्तीय उन्नयन प्राप्त कराते हुए सचिव स्तर के पद से सेवानिवृत्त होने के बिन्दु पर विचार किया जाना आवश्यक है ।

(x) किन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के सेवा कालीन प्रशिक्षण से संबंधित नीति एवं कार्यक्रम संकल्प 2011 की ओर भी ध्यानाकृष्ट किया जाना आवश्यक है जिसमें सेवावधि के आधार पर 6-10 वर्ष की अवधि में 2 सप्ताह का, 11-15 वर्ष की अवधि में 3 सप्ताह का, 16-20 वर्ष की अवधि में 4 सप्ताह का तथा 20 वर्षों से अधिक सेवावधि वाले पदाधिकारियों को LBSNAA, मसूरी या समकक्ष लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कराना अनिवार्य किया गया था । विगत कई वर्षों से इस दिशा में कार्य नहीं होने के कारण यथाशीघ्र इस निर्णय को लागू करने हेतु अनुरोध के साथ प्रस्तावित नई नियमावली में इसे समाहित कर वैधानिक आधार प्रदान किए जाने की आवश्यकता है (संकल्प ज्ञापांक 18/प्रशि०-01-04/2011 सा०प्र० 8770, दिनांक-08.08.2011-अनुलग्नक-10) ।

(xi) सभी स्तरों (प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य मुख्यालय) पर कार्यरत सभी सेवा संवर्गों के वरीयतर संवर्गों में प्रवेश (उच्चतर सेवाओं में समायोजन) की संभावना स्वतः अनुशासन एवं स्वप्रेरणा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा ।

(xii) उपरोक्त विसंगतियों से उद्भूत स्थितियों में न्यायपूर्ण समाधान प्राप्त करने हेतु सेवा संघ द्वारा उच्चतर न्यायालयों में विभिन्न वाद दायर कर संघ के सदस्यों के हितों की रक्षा एवं संवर्धन हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है । अतः विभिन्न विवादों के

त्वरित, न्यायसंगत एवं विधिपूर्ण निष्पादन हेतु राज्य प्रशासनिक अधिकरण जैसे संस्थानों के गठन सहित आवश्यक सांस्थानिक व्यवस्था के संबंध में भी विचार किया जाना आवश्यक है ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रतिपुष्टि के आधार पर लोक कल्याणकारी राज्य के वृहत्तर लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिक प्रभावी प्रशासनिक तंत्र के लिए सक्रिय सहभागिता के साथ सभी बिन्दुओं पर सकारात्मक विस्तृत चर्चा हेतु अवसर प्राप्त करने की अपेक्षा के साथ महोदय से अनुरोध करता है कि उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1996 में समग्रता से आवश्यक संशोधन करने का कष्ट किया जाय ।

**अनुलग्नक**:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

26/9/23

(सुनील कुमार तिवारी)

महासचिव

अनुलग्नक -1

# बिहार गजट

**असाधारण अंक**

**बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित**

24 फाल्गुन 1918 (श०)

(सं० पटना, 93) पटना, शनिवार, 15 मार्च, 1997

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियलावली, 1996

अधिसूचना

14 मार्च 1997

जी०एस०आर० 5, दिनांक 15 मार्च 1997—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावंली बनाते हैं :—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(i) यह नियमावली "बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996" कही जायेगी ।

(ii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषा—इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "बिहार प्रशासनिक सेवा" से अभिप्रेत है राज्य की प्रशासनिक सेवा ।
(ख) "संवर्ग पदाधिकारी" से अभिप्रेत है बिहार प्रशासनिक सेवा का सदस्य ।
(ग) "कोटि" से अभिप्रेत है वेतनमान के अनुरूप पदों का वर्गीकरण जो संवर्ग में विनिश्चित होंगे ;
(घ) "संवर्ग पद" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम-8 द्वारा निहित शक्तियों के रूप में राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा परिलक्षित पद ।
(ङ) "राज्य" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य
(च) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ।
(छ) "वर्ष" से अभिप्रेत है, पंचांग वर्ष ।

3. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का गठन—बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का गठन बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को मिलाकर होगा ।

(4) संवर्ग की संख्या और संरचना :—

(i) नियम 3 के अधीन गठित संवर्ग की संख्या और संरचना का अवधारण राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जाएगा और इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और जबतक ऐसा प्रकाशन नहीं हो जाता तबतक यह इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पहले प्रवृत्त स्थिति में बना रहेगा ।

(ii) राज्य सरकार प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर निम्नलिखित से गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर संवर्ग की संख्या और संरचना की समीक्षा करेगी :—

(क) मुख्य सचिव—अध्यक्ष
(ख) सदस्य, राजस्व पर्षद्—सदस्य
(ग) वित्त सचिव—सदस्य
(घ) सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सदस्य
(ङ) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग—सदस्य
(च) सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग—संयोजक

परन्तु यह कि उक्त समिति संवर्ग की संख्या और संरचना की समीक्षा करते समय तथ्य पर ध्यान रखेगी कि विभिन्न स्तरों पर बहुत सारे पद अन्य संवर्गों के पदाधिकारियों द्वारा भी धारित किए जा रहे हैं तथा वह विभिन्न संवर्गों की नियमावली के उपबन्धों को समन्वित करने का प्रयास करेगी ।

5. संवर्गीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति :—

(1) संवर्गीय पदाधिकारी को राज्य या केन्द्र सरकार के किसी विभाग में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा ;

(2) संवर्गीय पदाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा सेवायें निम्नलिखित के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा

(i) राज्य सरकार के पूर्णतः या सारतः स्वामित्व या नियंत्रण वाले कम्पनी, व्यक्तियों के संगम या निकाय में चाहे वे निगमित हो अथवा नहीं, नगर निगम, स्थानीय निकाय बोर्ड या सहकारी समिति में,

(ii) किसी राष्ट्रीय संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या स्वयंसेवी निकाय में, जो राज्य सरकार या निजी निकाय द्वारा नियंत्रित न हो, अथवा,

(iii) केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः नियंत्रण वाले किसी कार्यालय में ;

परन्तु यह कि किसी भी संवर्गीय पदाधिकारी को उनकी सहमति बिना केन्द्र सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में तथा उपर्युक्त मद संख्या (i), (ii) एवं (iii) में उल्लिखित किसी संगठन या निकाय में बिना मांग के प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त उप-नियम (i), (ii) एवं (iii) के अधीन किसी संवर्गीय पदाधिकारी को किसी ऐसे पद पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसके वेतनमान का अधिकतम उस पदाधिकारी द्वारा प्राप्त किये जा रहे वेतनमान से कम हो जो वह अपने संवर्ग के धारित पद पर प्राप्त करता हो ।

6. संवर्गीय पद की पूर्ति संवर्गीय पदाधिकारी द्वारा की जाएगी :—

नियमावली के नियम-4 के अधीन यथा परिलक्षित कोटियों में सेवा के हरेक संवर्गीय पद की पूर्ति कोटि के संवर्गीय पदाधिकारी द्वारा ही की जाएगी ।

परन्तु यह कि आपवादिक स्थिति में जब संवर्ग का कोई उपयुक्त पदाधिकारी उपलब्ध न हो तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से अधिकतम छः माह से अनधिक अवधि के लिये प्रखंड-विकास पदाधिकारी के पद गैर-संवर्गीय पदाधिकारी से भरे जा सकेंगे ।

7. संवर्ग नियंत्रण—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग इस संवर्ग का नियंत्री विभाग होगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार का कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संवर्ग नियंत्रण पदाधिकारी की कुछ शक्तियों को राज्य सरकार के किसी उपयुक्त प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

8. कठिनाइयों का निवारण—यदि इस नियमावली के निर्वचन पर कोई प्रश्न उठे या इस नियमावली के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार का कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग इस पर निर्णय देगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ।

(2/नि०-10/5/91-का०—2310)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

पटना :
दिनांक 14 मार्च 1997

बैंक बिहारी कांत हलधर,
सरकार के सचिव ।

---

अधीक्षक, सचिवालय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, बिहार द्वारा प्रकाशित एवं
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।

अनुलग्नक -2

# बिहार सरकार
## कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक– 4.6.08

विषयः– राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरवर्ती बिहार राज्य में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के सम्वर्गीय पदों का चिह्नितीकरण ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या 2311, दिनांक 14.03.99, 2632 दिनांक 31.03.99, 7276 दिनांक 19.12.2001 एवं संकल्प संख्या 1680 दिनांक 13.02.02 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के पदों एवं उसकी संख्या निर्धारित एवं चिह्नित की गयी है।

2. राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरवर्ती राज्य में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के सम्वर्गीय पदों का चिह्नितीकरण का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के सम्वर्ग बल की संख्या एवं संरचना की समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा पदाधिकारियों के लिये विभिन्न स्तर के सम्वर्गीय पदों का निम्नरूप में चिह्नितीकरण करने का निर्णय लिया है :

| क्र0 | पदनाम | वेतनमान् | पदों की संख्या | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | निदेशक स्तर | 16,400-20,000 | 3 | सूची "क" |
| 2. | संयुक्त सचिव/समकक्ष | 14,300-18,300 | 68 | सूची "ख" |
| 3. | अपर समाहर्त्ता/समकक्ष | 12,000-16,500 | 355 | सूची "ग" |
| 4. | अनुमंडल पदाधिकारी/समकक्ष | 10,000-15,200 | 687 | सूची "घ" |
| 5. | मूल कोटि | 6500-10,500 | 1684 | सूची "च" |
| 6. | जिलावार वरीय उप समाहर्त्ता के पदों का आनुपातिक वितरण | - | - | सूची "छ" |
| 7. | अनुमंडलवार कार्यपालक दंडाधिकारी के पदों का आनुपातिक वितरण | - | - | सूची "ज" |
| 8. | प्रशिक्षण सुरक्षित | 6500-10,500 | 80 | - |
| | कुल पदबल | | 2877 | |

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

4/6/08

(राजीव लोचन)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक संख्या–12/नि0–1016/04 का0 6676/पटना–15, दिनांक– 4. 6. 2008.

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय ।

4/6/08

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक संख्या–12/नि0–1016/04 का0 6676/पटना–15, दिनांक– 4. 6. 2008.

प्रतिलिपिः–महालेखकार, बिहार, वीरचंद पटेल, पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/6/08

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक संख्या–12/नि0–1016/04 का0 6676/पटना–15, दिनांक– 4. 6. 2008.

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/6/08

सरकार के अपर सचिव।

अनुलग्नक – 3

अनुमोदन हेतु प्रारूप

# बिहार सरकार
## कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक– 2008.

विषयः– बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन हेतु समिति का गठन ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या 2311, दिनांक 14.03.99, 2632, दिनांक 31.03.99, संख्या 7236, दिनांक 19.12.2001 एवं संकल्प संख्या 1600, दिनांक 13.02.2002 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के पदों एवं उनकी संख्या निर्धारित एवं चिन्हित है।

2. राज्य पुनर्गठन के पश्चात् बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग की संख्या एवं संरचना की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत यह पाया गया है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार प्रदेश की प्रशासनिक सेवा के सदस्य बहुत उम्र होने पर अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत होकर समाहर्त्ता के पद पर पहुँच पाते हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय प्रशासन में युवा तथा परिश्रमी पदाधिकारियों की कमी रहती है।

3. उपर्युक्त समस्या का समाधान यह हो सकता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रथम नियुक्ति के अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी/समकक्ष स्तर पर पदस्थापित किया जाए तथा इतनी संख्या रखी जाए कि आगे वरीय पदों पर प्रोन्नति शीघ्र हो सके । इसके लिए या तो उप समाहर्त्ता संवर्ग से अलग अपर उप समाहर्त्ता के संवर्ग का दुबारा गठन किया जा सकता है या फिर प्रखंड तथा अंचल में पदस्थापन हेतु अतिरिक्त राजस्व सेवा एवं अधीनस्थ ग्रामीण विकास सेवा का गठन कर दिया जा सकता है।

4. अतः राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन पर विचार कर सरकार को अनुशंसा करने हेतु निम्नलिखित समिति गठित करने का निर्णय लिया है :–

(क) मुख्य सचिव — अध्यक्ष

(ख) विकास आयुक्त

(ग) प्रधान सचिव, वित्त विभाग

(घ) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

(ङ) प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(च) प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग — सदस्य–सचिव

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजीव लोचन)

ज्ञापांक—12/नि0—1004/08 का0 6183/पटना—15 दिनांक— 6-6-2008.

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित ।

ह०/— 4/6/08

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—12/नि0—1004/08 का0 6183/पटना—15 दिनांक— 6-6-2008.

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/— 4/6/08

सरकार के अपर सचिव।

अनुलग्नक-4

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

:: संकल्प ::

पटना-15, दिनांक- 28/1/ 2010

विषय:-बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन तथा सेवा संवर्ग की संख्या और संरचना का निर्धारण।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-6070, दिनांक-04.06.2008 एवं 5349, दिनांक-08.06.2009 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के संवर्गीय पदों एवं उनकी संख्या निर्धारित एवं चिन्हित हैं :-

| क्रमांक | पदनाम | वेतनमान् | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | निदेशक स्तर | रू0 16,400-20,000 | 04 |
| 2 | संयुक्त सचिव एवं समकक्ष | रू0 14,300-18,300 | 68 |
| 3 | उप सचिव/अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष | रू0 12,000-16,500 | 355 |
| 4 | अवर सचिव/अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष | रू0 10,000-15,200 | 687 |
| 5 | मूल कोटि | रू0 6,500-10,500 | 1684 |
| 6 | प्रशिक्षण सुरक्षित | रू0 6,500-10,500 | 80 |
| | कुल पद बल | | 2878 |

2. बिहार प्रशासनिक सेवा को राज्य सरकार ने "प्रीमियर सेवा" का दर्जा दिया है। अतः आवश्यक है कि बिहार प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन कर इस सेवा के सदस्यों को नीति निर्धारण तथा प्रशासन से संबंधित उच्च पदों पर अपेक्षाकृत कम आयु में पदस्थापित होकर कार्य करने के बेहतर अवसर प्रदान किया जाए। राज्य पुनर्गठन के पश्चात् बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग की संख्या एवं संरचना की समीक्षा के दौरान यह महसूस किया गया है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य बेसिक ग्रेड के पदों पर अत्यधिक लम्बी अवधि तक पदस्थापित रहने के कारण उच्चतर पद अर्थात् अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोन्नति के पदों पर जब पदस्थापित होते हैं तो उनकी आयु अधिक होने के कारण क्षेत्रीय प्रषासन में युवा तथा परिश्रमी पदाधिकारियों की कमी रहती है और उनकी प्रशासनिक क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है।

3. उपर्युक्त समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक समझा गया कि बिहार प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन कर इस सेवा के सदस्यों को नीति निर्धारण तथा प्रशासन से संबंधित उच्च पदों पर अपेक्षाकृत कम आयु में पदस्थापित होकर कार्य करने के बेहतर अवसर प्रदान किया जाय।

28/1/10

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन करने के क्रम में निम्न निर्णय लिये जाते हैं :–

(1) पुनर्गठित बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए संवर्गीय पदों की संख्या एवं संरचना निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

| क्रमांक | पदनाम | वेतनमान् (अपुनरीक्षित) | पदों की संख्या | कालावधि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मूल कोटि (अनुमंडल पदाधिकारी/ वरीय उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष) | रू0 8,000 - 13,500 | 273 | – | संलग्न अनुसूची 'क' के अनुसार |
| 2 | उप सचिव एवं समकक्ष | रू0 10,000 -15,200 | 176 | 5 वर्ष | संलग्न अनुसूची 'ख' के अनुसार |
| 3 | अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष | रू0 12,000 -16,500 | 159 | 5 वर्ष | संलग्न अनुसूची 'ग' के अनुसार |
| 4 | संयुक्त सचिव एवं समकक्ष | रू0 14,300-18,300 | 131 | 5 वर्ष | संलग्न अनुसूची 'घ' के अनुसार |
| 5 | अपर सचिव एवं समकक्ष | रू0 16,400-20,000 | 48 | 2 वर्ष | संलग्न अनुसूची 'च' के अनुसार |
| 6 | विशेष सचिव एवं समकक्ष | रू0 18,400-22,400 | 24 | – | संलग्न अनुसूची 'छ' के अनुसार |
| 7 | प्रशिक्षण/अवकाश रक्षित (कुल संवर्ग बल 811 का @ 5%) | रू0 8,000-13,500 | 40 | | |
| | कुल पद बल – | | 851 | | |

(2) बिहार प्रशासनिक सेवा में प्रथम नियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारी या समकक्ष ग्रेड में वेतनमान् रू0 8,000–13,500/– (अपुनरीक्षित) में होगी। इस कोटि में अनुमंडल पदाधिकारी के अतिरिक्त जिला समाहरणालयों में वरीय उप समाहर्त्ता के वर्तमान में उपलब्ध चिन्हित पद तथा कुछ अन्य पद शामिल करते हुए पदबल की संख्या निर्धारित किये गए हैं, तद्नुसार बिहार प्रषासनिक सेवा भर्त्ती नियमावली एवं बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन अथवा नई भर्त्ती/संवर्ग सेवा नियमावलियों का गठन किया जायेगा ।

(3) बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड के अधिकारी, प्रखंड/अंचल/नगर निगम/नगर निकाय एवं प्राधिकार आदि में पदस्थापित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार चकबंदी/बंदोबस्त/आपूर्ति/निर्वाचन तथा अन्य सभी विभागों के वेतनमान् रू0 8,000–13,500/– (अपुनरीक्षित) के समकक्ष या इससे नीचे के पदों पर पदस्थापन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी बेसिक ग्रेड पर रहते हुए विभिन्न विभागों के उपर्युक्त पदों (प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी सहित) पर कार्य कर रहे हैं, को चरणबद्ध ढंग से हटा लिया जायेगा।

(4) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप निर्धारित पदबल अधिसूचित करेगा तथा पूर्व से चिहित शेष पदों को विभिन्न विभागीय संवर्गो से प्रोन्नति द्वारा भरने के लिए उपलब्ध समझा जाएगा जिसके लिए सभी संबंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर नियमावली बना लेंगे या संशोधित कर लेंगे। उपर्युक्त कंडिका–(1) में क्रमांक 1 के पदों के लिए पूर्व से

28.1.10

चिह्नित वेतनमान रू0 10,000–15,200(अपुनरीक्षित) के पदों को अवक्रमित किया जाता है तथा क्रमांक 3, 4 एवं 5 के कुछ पद उप सचिव / अपर समाहर्त्ता के नाम से चिह्नित हैं को उत्क्रमित एवं पदनाम में परिवर्तन किया जाता है। अवक्रमित/उत्क्रमित/सृजित पदों को अनुसूची–'क', 'ख', 'ग', 'ध', 'च' एवं 'छ' में सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में जितने पदों को इस सेवा संवर्ग में चिह्नित किया गया है यदि पूर्व से उक्त पद सृजित नहीं हों तो उन्हें सृजित/पदनामित करने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।

(5) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा में **25%** पदों को भरने की व्यवस्था तुरत के प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी स्थिति में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु चली आ रही अग्रणीत रिक्तियाँ तत्कालिक प्रभाव से समाप्त समझी जायेंगी। किन्तु न्यायालय के आदेश से जिन ऐसी रिक्तियों को भरने की कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है, उसे जारी रखा जाएगा।

(6) जब तक अन्य विभागीय संवर्गो में प्रोन्नति हेतु चिन्हित पदों पर उस संवर्ग के निम्नतर ग्रेड में कार्यरत अधिकारी निर्धारित कालावधि पूर्ण कर प्रोन्नत नहीं हो जाते हैं, तब तक उन सेवाओं के पदों पर पूर्व की भाँति बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी औपबंधिक रूप से पदस्थापित किए जाते रहेंगे।

5. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी। प्रथम नियुक्ति के पश्चात् संस्थागत प्रशिक्षण के कम में उन्हें राज्य एवं देश के उत्कृष्ट प्रशिक्षक, प्राध्यापक एवं प्रबंधकों के द्वारा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी तथा उनकी जानकारी एवं प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के लिये उन्हें देष के विभिन्न उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पकालीन प्रशिक्षण दिलाने तथा देश के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण हेतु भ्रमण कराने के लिये भी व्यवस्था करायी जायेगी। इसी प्रकार बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवाकाल में नियमित अवधि पर उत्कृष्ट कोटि के सेवाकालीन लघु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी ताकि वे प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान तथा विशेषज्ञता प्राप्त कर वरीय पदों को धारण करने की क्षमता प्राप्त कर सकें।

6. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों के अवक्रमण/उत्क्रमण /सृजन अथवा पदाधिकारियों की पदस्थापना के क्रम में इस संक्रमण अवधि में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु माननीय मुख्य मंत्री प्राधिकृत होंगे।

7. यह आदेश 01.04.2010 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28/1/10

(राजीव लोचन)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–12/नि0–1004/08 का0– 942 /पटना–15, दिनांक– 28 1 2010

प्रतिलिपिः–प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

ह0/- 28/1/10

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–12/नि0–1004/08 का0– 942 /पटना–15, दिनांक– 28 1 2010

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 28/1/10

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–12/नि0–1004/08 का0– 942 /पटना–15, दिनांक– 28 1 2010

प्रतिलिपिः–सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/लोकायुक्त, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी, टी0सी0एस0 (आई0डब्लू0डी0एम0एस0 सॉफ्टवेयर पर प्रकाषित करने हेतु) मुख्य सचिवालय, पटना/कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग के सभी राजपत्रित पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ बोर्ड/निगम/उपक्रमों को अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/- 28/1/10

सरकार के विशेष सचिव।

अनुलग्नक – 5

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग,

ज्ञापांक –12/वि0–5005/16 सा0प्र0 – /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

द्वारा :– वित्त विभाग।

विषय:– बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन तथा सेवा संवर्ग की संख्या और संरचना के निर्धारण हेतु पदों का सृजन के संबंध में।

आदेश:– स्वीकृत।

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सरकार के नीति निर्धारण तथा प्रशासन से संबंधित उच्च पदों पर अपेक्षाकृत कम आयु में पदस्थापित होकर कार्य करने के बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 942 दिनांक–28.01.2010 एवं 5019 दिनांक–05.05.2011 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए उसके लिए संवर्गीय पदों की संख्या एवं संरचना निर्धारित की गयी। उपर्युक्त संकल्प द्वारा संवर्ग के कुल पदबल को 2878 से घटाकर 851 कर दिया गया। तत्पश्चात् विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–15378 दिनांक–11.11.2014 द्वारा 101 अपर अनुमंडल पदाधिकारी, स्वीकृत्यादेश सं0–5395 दिनांक–13.04.2016 द्वारा 101 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, 38 अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, 04 विशेष कार्य पदाधिकारी तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–7606 दिनांक–27.05.2016 द्वारा 55 विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है।

2. वर्त्तमान में बिहार प्रशासनिक सेवा के विभिन्न पद सोपानों में पदों की स्थिति निम्नवत् है:–

| क्रमांक | पदनाम | पे– बैण्ड (अपुनरीक्षित) | ग्रेड पे (अपुनरीक्षित) | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | विशेष सचिव एवं समकक्ष स्तर | ₹ 37,400–67,000 | ₹ 10000/- | 24 |
| 2 | अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर | ₹ 37,400–67,000 | ₹ 8900/- | 48 |
| 3 | संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर | ₹ 37,400–67,000 | ₹ 8700/- | 131 |
| 4 | अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष स्तर | ₹ 15,600–39,100 | ₹ 7600/- | 197 |
| 5 | उप सचिव एवं समकक्ष स्तर | ₹ 15,600–39,100 | ₹ 6600/- | 231 |
| 6 | मूल कोटि (अनुमंडल पदाधिकारी /वरीय उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष स्तर) | ₹ 9300–34,800 | ₹ 5400/- | 479 |
| 7 | प्रशिक्षण/अवकाश रक्षित (कुल संवर्ग बल 811 का @ 5%) | ₹ 9300–34,800 | ₹ 5400/- | 40 |
| | | | कुल पद बल | 1150 |

3. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के उपर्युक्त पुनर्गठन के द्वारा स्वीकृत पदबल की संख्या एक तिहाई से भी कम कर दिये जाने के कारण सेवा के मूल कोटि एवं अपर समाहर्त्ता स्तर में कार्यरत पदाधिकारियों की संख्या उक्त कोटि के लिए स्वीकृत बल से अधिक हो गयी। इसके फलस्वरूप दोनों स्तरों में बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–3983 दि0–03.05.10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | प्रतिनियुक्ति सुरक्षित पद (अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष स्तर) | ₹ 15,600–39,100 + ₹ 7600/- | लेवल–12 | 70 | |
| 6 | प्रतिनियुक्ति सुरक्षित पद (संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर) | ₹ 37,400–67,000 + ₹ 8,700/- | लेवल–13 | 61 | |
| | कुल पद बल | | | 484 | |

इस सृजन के फलस्वरूप ₹ 52,41,21,180 (बावन करोड़ एकतालिस लाख इक्कीस हजार एक सौ अस्सी रू0 मात्र) का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगी।

**(व्यय विवरणी अनुसूची "ग" के रूप में संलग्न है)**

8. बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव एवं समकक्ष स्तर में सृजित सभी Floating पद सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधीन होंगे तथा आवश्यकतानुसार उक्त पदों के विरूद्ध विभिन्न विभागों/कार्यालयों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जायेगा। Floating पदों के विरूद्ध पदस्थापित पदाधिकारियों के वेतनादि का भुगतान संबंधित नियंत्री विभाग/कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

**9.** बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चिन्हित पदों के साथ Floating पदों एवं प्रतिनियुक्ति सुरक्षित पदों को सम्मिलित करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विभिन्न स्तरों में प्रोन्नति हेतु रिक्ति का निर्धारण किया जायेगा।

10. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

**अनुलग्नकः– यथोक्त।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

**ज्ञापांक सं0– 12/वि0–5005/16 सा0प्र0 – 6646 /पटना, दिनांक 22.5.18**

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडली आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव बिहार, पटना/सभी पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/5/18

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Sec-12 Ramesh\Sanlekh ( Prashashi Padvarg ).docx

एवं स्वीकृत्यादेश सं0– 8487 दिनांक–30.08.10 द्वारा क्रमशः 262 एवं 170 कुल 432 अस्थायी पदों का सृजन किया गया।

4. बिहार प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन के पश्चात् राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए पूर्व में चिन्हित पदों को सम्मिलित करते हुए अपने अधीन विभिन्न सेवा संवर्गों का गठन किया गया है, जैसे बिहार राजस्व सेवा, बिहार ग्रामीण सेवा आदि। उक्त नवसृजित संवर्गों के अधीन मूल कोटि के पदों पर नयी नियुक्ति कर पदाधिकारियों को पदस्थापित किया गया है, परंतु नवसृजित संवर्गो में प्रोन्नति के पद अभी भी रिक्त हैं। वर्णित स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ सेवा संवर्ग के विभिन्न उच्चतर पदों पर पदस्थापन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु लगातार सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया जा रहा है। परन्तु, विभिन्न विभागों द्वारा याचित पद बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए चिन्हित नहीं होने के कारण पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है।

5. बिहार प्रशासनिक सेवा के विभिन्न स्तरों में पदों की संख्या कम किये जाने के कारण प्रोन्नति के अवसर भी कम हो गये, जिसके फलस्वरूप पदाधिकारियों की प्रोन्नति अवरूद्ध हो गयी तथा Stagnation की स्थिति उत्पन्न हो गयी।

6. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में बिहार प्रशासनिक सेवा का पुनः पुनर्गठन किया जाना आवश्यक हो गया।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन करने हेतु पूर्व से चिन्हित/सृजित पदों के अतिरिक्त निम्नांकित पदों का स्थायी रूप से सृजन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

| क्रमांक | पदनाम | अपुनरीक्षित पे– बैण्ड + ग्रेड पे | पुनरीक्षित वेतन स्तर (Level) | सृजित पदों की सं0 | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1 | वरीय उप समाहर्त्ता (मूल कोटि एवं समकक्ष स्तर) | ₹ 9300–34,800 + ₹ 5400/- | लेवल–9 | 40 | संलग्न अनुसूची– "क" के अनुसार |
| | प्रतिनियुक्ति सुरक्षित पद (मूल कोटि एवं समकक्ष स्तर) | ₹ 9300–34,800 + ₹ 5400/- | लेवल–9 | 168 | |
| 2 | Floating पद (उप सचिव एवं समकक्ष स्तर) | ₹ 15,600–39,100 + ₹ 6600/- | लेवल–11 | 30 | |
| | प्रतिनियुक्ति सुरक्षित पद (उप सचिव एवं समकक्ष स्तर) | ₹ 15,600–39,100 + ₹ 6600/- | लेवल–11 | 78 | |
| 3 | अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) | ₹ 15,600–39,100 + ₹ 7600/- | लेवल–12 | 29 | संलग्न अनुसूची–'ख' के अनुसार |
| 4 | अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) (अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष स्तर) | ₹ 15,600–39,100 + ₹ 7600/- | लेवल–12 | 08 | मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियाँ, गया, मुंगेर एवं भागलपुर (प्रत्येक के लिए1–1 पद) |

अनुलग्नक-6

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

।। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय।।

## आदेश

आदेश संख्या ......................../                                        पटना, दिनांक–..............

विभागीय निदेश के आलोक में प्रत्येक दिन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को वाहन उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

अतएव सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को संबंधित जिले में समाहरणालय स्तर के स्वीकृत दर पर Bolero/Scorpio वाहन रखने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

ह०/–
(पंकज कुमार)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–...126....../नि०प्रा०शि०,                                        पटना, दिनांक–...20/6/2023

प्रतिलिपि–सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि तत्काल प्रभाव से जिला के स्वीकृत दर पर किराए पर वाहन रखना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर) 20/6/2023
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

पत्रांक–03 / वाहन रा0अं0(अंचल)–24 / 2020– 331 (3) / रा0

# बिहार सरकार

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

कंचन कपूर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

ई–मेल / फैक्स

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 15.05.2023

विषय :– राज्य के वैसे सभी अंचलों में जहाँ अंचल अधिकारी के साथ–साथ राजस्व अधिकारी भी पदस्थापित / कार्यरत हैं, वहाँ सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु राजस्व अधिकारी के लिए भाड़े पर वाहन लिए जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी अंचलों में अंचल अधिकारी के अलावे राजस्व अधिकारी का पद स्वीकृत है। राजस्व विभागीय कार्यों के निष्पादन में राजस्व अधिकारी की महत्ता वर्तमान समय में काफी अधिक हो गई है। राजस्व अधिकारी को दाखिल–खारिज, भूमि विवादों से संबंधित जाँच, भूमि की मापी, राजस्व संबंधी ऑन–लाईन सेवाएं एवं विशेष भूमि सर्वेक्षण इत्यादि के लिए क्षेत्र भ्रमण निरंतर दिन प्रतिदिन करना पड़ता है। इसके अलावे आपदा प्रबंधन एवं समय–समय पर भूमि विवाद के कारण विधि व्यवस्था का कार्य भी राजस्व अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है। वाहन के अभाव में इन कार्यों के निष्पादन में विलम्ब होता है। राजस्व अधिकारी को वाहन उपलब्ध कराये जाने के पश्चात राजस्व विभागीय कार्यों में तीव्रता आयेगी, जिससे आम–जनों की समस्याओं का तीव्रगति से निष्पादन हो सकेगा।

वाहन की अनुपलब्धता के कारण आ रही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के वैसे सभी अंचलों में जहाँ अंचल अधिकारी के साथ–साथ राजस्व अधिकारी भी पदस्थापित / कार्यरत हैं, वहाँ सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु राजस्व अधिकारी के लिए भाड़े पर वाहन लिए जाने का निर्णय लिया गया है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में वित्त विभागीय पत्रांक–5460, दिनांक–18.06.2012 तथा वित्त विभागीय पत्रांक–15698 / वि0(2), दिनांक–06.11.2012 (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रावधानानुसार राजस्व अधिकारियों के उपयोग हेतु भाड़े पर वाहन लेने की आवश्यक व्यवस्था की जाय। इसका व्यय विपत्र कोड–40–2029001040001, विषय शीर्ष–1310(भाड़े का वाहन) मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, इसका आवंटन अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
15/5/23
(कंचन कपूर),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03 / वाहन रा0अं0(अंचल)–24 / 2020– 331 (3) / रा0, पटना–15, दिनांक– 15.05.2023

प्रतिलिपि– सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार एवं सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ई–मेल / निबंधित

15/5/23
(कंचन कपूर),
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक : 1प / स्था०–03–07 / 2021 / 8808 / पं०रा०

बिहार सरकार
**पंचायती राज विभाग**

प्रेषक,

**मिहिर कुमार सिंह,**
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

**सभी जिला पदाधिकारी,**
बिहार।

पटना, दिनांक 02 / 08 / 2023

विषयः **प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति, राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (SQM) एवं जिला गुणवत्ता नियंत्रक (DQM) के क्षेत्र भ्रमण हेतु भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महाशय,

राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने समुचित निधि, दायित्व एवं मानव बल का प्रतिनिधायन सुनिश्चित किया है।विभाग द्वारा संचालित योजनाओं यथा–15वें वित्त आयोग, षष्ठम् राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना, पंचायत सरकार भवन आदि के क्रियान्वयन हेतु इन संस्थानों को प्रति वर्ष बड़ी राशि उपलब्ध कराई जाती है।

2. ज्ञातव्य हो कि विभागीय अधिसूचना संख्या 674 दिनांक 09.08.2021 द्वारा बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 के माध्यम से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–60 की उप धारा–(1) द्वारा प्रखण्डों में पदस्थापित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को कार्यपालक पदाधिकारी का दायित्व सौपा गया है। इसके कारण इनके कार्य एवं दायित्व बढ़ गए हैं।

साथ ही विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की गुणवत्ता की जॉच एवं सतत् अनुश्रवण हेतु जिलों में राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (SQM) एवं जिला गुणवत्ता नियंत्रक (DQM) को नियोजित किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 12057 दिनांक 15.12.2022 द्वारा प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी को पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी होने के नाते अपनी पंचायत समिति द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा किये जाने का निदेश संसूचित है, जिसके अनुसार संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक पंचायत तथा कम–से–कम दस योजनाओं का विधिवत् निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा सप्ताह में कम–से–कम दो से तीन दिन निश्चित रूप से क्षेत्र का भ्रमण किया जाना निदेशित है। विभागीय पत्रांक 7943 दिनांक 13.07.2023 द्वारा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

के लिए Citizen end Delivery हेतु वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रणाली (Performance On Objective Parameters) विकसित की गई है, जिसमें निरीक्षण का भारांक 20% रखा गया है, जिसके आधार पर उनके कार्य का मूल्यांकन करना है।

4. अतः विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं सतत् अनुश्रवण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित/नियोजित पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित/नियोजित पदाधिकारियों को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत सामान्य निधि मद में उपलब्ध कराई गई राशि में से स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय की राशि की अधिसीमा के अंतर्गत भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं :–

(i) प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति के क्षेत्र भ्रमण हेतु जिला द्वारा निर्धारित दर (ईंधन सहित) के अनुरूप भाडे का वाहन रखा जाएगा। इसके लिए अधिकतम अनुमान्य राशि ₹40,000.00 प्रति माह (₹4.80 लाख प्रतिवर्ष) होगी। वैसे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति, जिनके पास एक से अधिक पंचायत समिति/प्रखंड का प्रभार है, उनके भाड़े के वाहन का भुगतान उस पंचायत समिति कार्यालय से होगा, जहाँ वे मूल रूप से पदस्थापित हैं। प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी की गाडी का उपयोग प्रखण्ड पर्यवेक्षण हेतु अन्य जॉच दल द्वारा भी किया जा सकता है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के क्षेत्रीय जॉच के दिनों एवं जिला स्तरीय बैठक के दिन को छोड़कर अन्य दिनों में वाहन का प्रयोग आपसी समन्वय से पंचायत समिति की विभिन्न समितियों द्वारा भी किया जा सकता है।

(ii) विभागीय पत्रांक 11192 दिनांक 22.11.2022 द्वारा जिला गुणवत्ता नियंत्रक (DQM) के क्षेत्रीय योजनाओं आदि की जॉच के संबंध में निदेश संसूचित है। जिला गुणवत्ता नियंत्रक (DQM) के क्षेत्र भ्रमण हेतु जिला द्वारा निर्धारित दर (ईंधन सहित) के अनुरूप भाड़े का वाहन रखा जाएगा। जिला गुणवत्ता नियंत्रक (DQM) के भाड़े पर वाहन के लिए राशि का नियमानुसार भुगतान उनके पदस्थापन जिला के जिला परिषद् कार्यालय से किया जायेगा।

(iii) विभागीय ज्ञापांक 9560 दिनांक 07.10.2022 द्वारा राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (SQM) के क्षेत्रीय योजनाओं आदि की जॉच के संबंध में निदेश संसूचित है। राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (SQM) के क्षेत्र भ्रमण हेतु जिला द्वारा निर्धारित दर (ईंधन सहित) के अनुरूप भाड़े का

वाहन रखा जाएगा। राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (SQM) हेतु भाड़े पर वाहन के लिए राशि का नियमानुसार भुगतान उनके पदस्थापन प्रमंडल के मुख्यालय जिला के जिला परिषद कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

राज्य गुणवत्ता नियंत्रक एवं जिला गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा प्रयोग की जा रही गाड़ी के व्यय की अधिसीमा कंडिका 4(i) के अनुसार होगी।

5. आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा। कंडिका–4(i) एवं (ii) में प्रयोग की जा रही भाड़े की गाड़ियों का उपयोग जिला से बाहर एवं कंडिका–4(iii) में प्रयोग की जा रही गाड़ियों का उपयोग प्रमंडल से बाहर करना निषिद्ध होगा। विशेष परिस्थितियों में गाड़ियों का प्रयोग जिला से बाहर करने पर संबंधित जिला पदाधिकारी की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 1प/स्था०–03–07/2021/8808/पं०रा०पटना, दिनांक 02/08/2023

प्रतिलिपि : सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति/सभी कोषागार पदाधिकारीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 1प/स्था०–03–07/2021/8808/पं०रा०पटना, दिनांक 02/08/2023

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार

<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक-प्र03-विविध-37/2010 - 2015 खाद्य,पटना/दिनांक - 14.03.2011

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- प्रखंड आपूर्ति कार्यालयों के लिए दो कमरे तथा सहायक एवं अनुसेवक की पूर्णकालिक व्यवस्था के संबंध में ।.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 2291 दिनांक 15.04.2010 का निदेश किया जाय । उक्त के माध्यम से लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकार की विभिन्न जन उपयोगी योजनाओं के सम्यक् कार्यान्वयन एवं प्रखंड स्तर पर आपूर्ति कार्यों के सुचारू संचालन के लिये प्रखंड / अंचल कार्यालयों में दो कमरों की व्यवस्था स्वतंत्र रूप से प्रखंड आपूर्ति कार्यालय हेतु किये जाने तथा इस कार्यालय के कार्य सम्पादन के लिये दो सहायक एवं दो अनुसेवक अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था । इस संदर्भ में अबतक कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव बिहार, पटना के बेतार संवाद सं0 3320 दिनांक 04.06.1986 द्वारा 15.06.1986 के प्रभाव से प्रखंड आपूर्ति कार्यालय को अंचल से अलग करते हुए इन कार्यालयों के लिए अंचल कार्यालय एवं प्रखंड विकास कार्यालय से एक-एक सहायक एवं अनुसेवक की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया गया था । तदनुसार विभागीय पत्रांक 6122 दिनांक 10.06.1986 एवं 5390 दिनांक 20.10.1989 द्वारा भी इस संदर्भ में कार्रवाई हेतु सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया था ।

अतएव अनुरोध है कि प्रखंड परिसर में अवस्थित प्रखंड विकास कार्यालय/अंचल कार्यालय में दो कमरों की व्यवस्था स्वतंत्र रूप से प्रखंड आपूर्ति कार्यालय के लिए किया जाय साथ ही इस कार्यालय के कार्य सम्पादन हेतु दो सहायक एवं दो अनुसेवक को अविलंब उपलब्ध कराया जाय तथा एतद् संबंधी सूचना विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय । इसे अति आवश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/- 14/3/11

सरकार के अपर सचिव

D:\Bablu\Year 2010\Section PSEC\[illegible]

अनुलग्नक – 1

**बिहार सरकार**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**:: संकल्प ::**

पटना–15, दिनांक 21.9.22

**विषय :–** **बिहार प्रशासनिक सेवा के नवनियुक्त परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का अधारभूत प्रशिक्षण।**

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के बढ़ते कार्यभार, विकास कार्यक्रमों में उत्तरोत्तर वृद्धि, कार्य निष्पादन की नई–नई तकनीक, लोक दायित्व में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये बिहार प्रशासनिक सेवा के नव–नियुक्त पदाधिकारियों के लिये पूर्व से निर्धारित प्रशिक्षण की अवधि एवं कार्यक्रम को संशोधित करते हुये विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13982 दिनांक 23.10.2018 द्वारा प्रशिक्षण अवधि को 40 सप्ताह निर्धारित किया गया।

सरकारी सेवकों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य उनके ज्ञान एवं कौशल के उन्नयन तथा उनमें कर्त्तव्य के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने के साथ ही राज्य के विकास में उनकी क्षमता का भरपूर उपयोग करना है। समय के साथ आधुनिक तकनीक के उत्तरोत्तर विकास, बढ़ती हुई प्रशासनिक जटिलता एवं दायित्वों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये बिहार प्रशासनिक सेवा के नव–नियुक्त पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की अवधि एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के नव–नियुक्त पदाधिकारियों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि 80 सप्ताह करते हुये प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु निम्नवत् प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है :–

| क्र0 सं0 | सप्ताह | प्रशिक्षण कार्यक्रम | अवधि (सप्ताह) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–20 | प्रथम चरण सांस्थिक प्रशिक्षण (Induction Traning) | 20 | बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना के अधीन। |
| 2 | 21–26 | भारत दर्शन एवं राज्य के बाहर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में सांस्थिक प्रशिक्षण | 06 | Administrative Staff College of India/National Institute of Rural Development, Hyderabad and Others. |
| 3 | 27–32 | **प्रशासनिक कार्यो से संबंधित प्रशिक्षण**<br>1. न्यायिक प्रशिक्षण – 1 सप्ताह<br>2. आपदा प्रबंधन, सामान्य शाखा एवं जन सम्पर्क – 2 सप्ताह<br>3. पुलिस विभाग एवं गोपनीय शाखा – 1 सप्ताह<br>4. विकास शाखा एवं निर्वाचन शाखा – 1 सप्ताह<br>5. अनुमण्डल कार्यालय – 1 सप्ताह | 06 | |
| 4 | 33–41 | **वित्तीय कार्यो से संबंधित प्रशिक्षण**<br>1. नजारत शाखा, वाणिज्य–कर एवं परिवहन शाखा का प्रशिक्षण – 2 सप्ताह<br>2. मद्यनिषेध एवं निबंधन कार्यालय – 1 सप्ताह<br>3. राजस्व शाखा, भू–अर्जन एवं राजस्व न्यायालय–2 सप्ताह (DM, ADM & DCLR Courts)<br>4. कोषागार प्रशिक्षण – 2 सप्ताह<br>5. सर्वे एवं बंदोबस्त – 2 सप्ताह | 09 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 42–43 | मानव संसाधन से संबंधित प्रशिक्षण<br>1. शिक्षा – 1 सप्ताह<br>2. स्वास्थ्य – 1 सप्ताह | 02 | |
| 6 | 44–45 | आधारभूत संरचनाओं से संबंधित प्रशिक्षण<br>1. भवन, उद्योग एवं ऊर्जा – 1 सप्ताह<br>2. लोक स्वास्थ्य, पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य – 1 सप्ताह | 02 | |
| 7 | 46–50 | कृषि एवं संबद्ध कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण<br>1. कृषि, पशु एवं मतस्य, वन एवं पर्यावरण – 2 सप्ताह<br>2. खाद्य, सहकारिता एवं बैंकिंग – 1 सप्ताह<br>3. जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन–1 सप्ताह<br>4. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास – 1 सप्ताह | 05 | |
| 8 | 51–53 | समाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण<br>1. पिछड़ा/अति पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अल्पसंख्यक – 1 सप्ताह<br>2. सामाजिक सुरक्षा – 1 सप्ताह<br>3. श्रम संसाधन, अभिलेखागार एवं कार्यालय अधीक्षक – 1 सप्ताह | 03 | |
| 9 | 54 | पंचायत निरीक्षण, नगर निगम, नगरपालिका एवं पंचायत निरीक्षण– 1 सप्ताह | 01 | |
| 10 | 55–74 | प्रखंड/अंचल प्रशिक्षण | 20 | प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी के रूप में पूर्ण प्रभार |
| 11 | 75–78 | द्वितीय चरण सांस्थिक प्रशिक्षण<br>(Second phase institutional Traning) | 04 | बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना के अधीन। |
| 12 | 79–80 | विभिन्न प्रकरणों पर मूवमेंट/ट्रांजिट के लिए समय | 02 | |
| | | कुल | 80 | (अस्सी सप्ताह) |

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजे दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20.9.22

(रचना पाटिल)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–18 / प्रशि0–01–09 / 2022सा.प्र. 17214 पटना, दिनांक 21.9.22

**प्रतिलिपि** :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से) प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

20.9.22

**सरकार के अपर सचिव**

ज्ञापांक–18 / प्रशि0–01–09 / 2022सा.प्र. 17214 पटना, दिनांक 21.9.22

**प्रतिलिपि** :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना / महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर फुलवारी शरीफ, पटना / बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी / वरीय प्रभारी, प्रशाखा–12, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

20.9.22

**सरकार के अपर सचिव**

अनुलग्नक-8

8476

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक– 8 अगस्त, 2011

**विषयः–बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण से संबंधित नीति एवं कार्यक्रम।**

राज्य में विकास के बदलते परिवेश, उससे जनित जटिल एवं चुनौतीपूर्ण वातावरण एवं जनसामान्य के सरकार से बढ़ती अपेक्षाओं के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का कार्य काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है तथा उनपर निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने का दबाव सतत बना रहता है। राज्य सरकार ने महसूस किया है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, जो राज्य प्रशासन के द्वितीय पंक्ति के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उनकी कार्य–क्षमता, दक्षता एवं योग्यता की वृद्धि के लिए समय–समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के Core Skills में वृद्धि के साथ–साथ उनमें नेतृत्व का गुण, वित्तीय प्रबंधन, लोक प्रबंधन, सूचना का अधिकार, जन शिकायत, लोक सेवाओं का अधिकार, परियोजना प्रबंधन एवं Communication आदि से संबंधित Professional Skill विकसित करना है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का मॉडयूल बनाया जाना विचाराधीन था। सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को निम्न रूप से प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की नीति एवं कार्यक्रम निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है–

(i) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सेवावधि के आधार पर निम्न रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगाः–

| Type | Duration | Mode of training | Methodology | Contents |
|---|---|---|---|---|
| M1-(6-10 years of | 2 week | • Instructor-led class room sessions. | • Concept-sharing.<br>• Case studies. | • Essentials of Public Administration. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | programme, etc) | • ICT & e-Governance.<br>• Financial Management<br>• Programme implementation and execution<br>• Health & Lifestyle<br>• Personnel Management.<br>• Sunrise sectors like clean energy, environment, IT, etc. |

(ii) वैसे पदाधिकारी जिनकी सेवा 20 वर्षो से अधिक की हो गयी है, उन्हें LBSNAA, मसूरी या समकक्ष लब्धप्रतिष्ठित संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(iii) उपर्युक्त प्रशिक्षण बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की प्रोन्नति के लिए भी अनिवार्य होगा।

(iv) पदाधिकारियों का स्थानांतरण एक विभाग से दूसरे विभाग में या क्षेत्रीय कार्यालय से विभाग में होने पर उप सचिव एवं उसके उपर के पदाधिकारी को Half day Induction Course दिया जाएगा जिसमें पदाधिकारी को विभागों के कार्यकलाप के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। इस हेतु प्रत्येक विभाग द्वारा Intractive Training CD तैयार किया जाएगा।

(v) कंडिका–(i) में वर्णित नियमित प्रशिक्षण के अतिरिक्त Fast track workshop के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है जिसमें समसामयिक विषयों से पदाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा जिसमें Sunrise Sectors यथा Environment, IT, Clean Energy आदि विषय भी शामिल होंगे। Modules बिपार्ड द्वारा विकसित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा।

(vi) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों में English language skill एवं Computer Skill में कमजोरी को ध्यान में रखते हुए Outsource के माध्यम से english speaking proficiency तथा Computer skill विकसित करने हेतु DOEAC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *service)* | | • *Exposure to best practices in other states.*<br>• *External faculty for select sessions.*<br>• *Initiation of Computer-based learning.* | • *Group discussions.*<br>• *Video based learning.*<br>• *Experintial learning.*<br>• *Psycho-profile and feedback.*<br>• *Visit and paper presentation.* | • *Disaster & Crisis Handling.*<br>• *Study of Best Practices.*<br>• *Managerial & Behavioral Skills.* **(Special emphasis on observation of courtesies while dealing with the general public as well as public representatives)**<br>• *Public Policy formulation.*<br>• *Financial Management*<br>• *Programme implementation and execution*<br>• *Health & Lifestyle*<br>• *Personnel Management.*<br>• *Sunrise sectors like clean energy, environment, IT, etc.* |
| *M2-(11-15 years of service)* | *3 week* | • *Instrctor-led class room sessions.*<br>• *Exposure visit to other Countries.*<br>• *External faculty for select sessions.*<br>• *Computer-based learning.* | • *Concept-sharing.*<br>• *Case studies.*<br>• *Group discussions.*<br>• *Experientiol learning.*<br>• *Psycho-profile and feedback.*<br>• *Visit and paper presentation including international visits.*<br>• *Exposure to* | • *Essentials of Public Administration.*<br>• *Overview of National & International.*<br>• *Public Administration in changing times.*<br>• *Strategies for development.*<br>• *Study of Best Practices.*<br>• *Managerial & Behavioral Skills.* |

द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षण देकर इन कमियों को दूर किया जाएगा।

उपर्युक्त दोनों प्रशिक्षण सचिवालय में पदस्थापन के लिए अनिवार्य होगा।

(vii) उपर्युक्त अनिवार्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त विभाग–विशेष में पदस्थापित पदाधिकारियों को विभागीय कार्य के अनुकूल Discretionary Training दिए जाने का प्रावधान है जो Short duration का होगा जिसके कारण विभाग–विशेष में कार्य करने के लिए उनके Competency को विकसित किया जाएगा।

(viii) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी–विशेष, जो अपनी योग्यता एवं कौशल की वृद्धि करना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर लब्धप्रतिष्ठित संस्थाओं यथा NIRD, HCM, RIPA, YASHADA, XLRI, MCRHRD, LBSNAA, ASCI आदि संस्थाओं से Tie-up कर उन संस्थाओं में Exchange programme के तहत मनोनीत कर भेजा जाएगा। उसी प्रकार अन्य राज्यों में Best practices की गहराई से अध्ययन करने हेतु project work के लिए उन्हें अन्य राज्यों में भेजा जायेगा।

(ix) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अधिक–से–अधिक Exposure प्राप्त हो, इस हेतु इन्हें भारत सरकार की बैठकों में तथा अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भेजा जायेगा।

(x) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का दायित्व बिपार्ड का होगा। इस हेतु बिपार्ड के भौतिक आधारभूत संरचना एवं Faculty को सुदृढ़ किया जाएगा।

(xi) प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के पश्चात Implementing Agency/Institute प्रशिक्षण में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त किये गये प्रशिक्षण का मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया बिपार्ड द्वारा तय की जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं भविष्य में प्रशिक्षण के संबंध में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों से Feedback प्राप्त किया जाएगा। Feedback प्राप्त करने हेतु निम्न Parameters रखे गये हैः—

(क) प्रशिक्षण से अपेक्षाएँ

(ख) Key Learning

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार लाने से संबंधित सुझाव

(घ) प्रशिक्षण के पश्चात आगामी 6 महीने के अंदर वैयक्तिक लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में।

3. यह संकल्प तुरंत के प्रभाव से लागू होगा।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Government of India functioning (meeting, conferences, immersion programme, etc) | **(Special emphasis on observation of courtesies while dealing with the general public as well as public representatives)**<br>• *Public Policy formulation.*<br>• *Financial Management*<br>• *Programme implementation and execution*<br>• *Health & Lifestyle*<br>• *Personnel Management. Sunrise sectors like clean energy, environment, IT, etc.* |
| *M3-(16-20 years of service)* | *4 week* | • *Instrctor-led class room sessions.*<br>• *Exposure visit to other states and countries.*<br>• *External faculty for select sessions.*<br>• *Computer-based learning.* | • *Concept-sharing.*<br>• *Case studies.*<br>• *Group discussions.*<br>• *Experintial learning.*<br>• *Psycho-profile and feedback.*<br>• *Behavioral module on Out bound mode.*<br>• *International exposure visits.*<br>• *Exposure to Government of India functioning (meeting, conferences, immersion* | • *Essentials of Public Administration.*<br>• *Strategies for National & International Environment.*<br>• *Public Policy Formulation.*<br>• *Study of University (abroad)*<br>• *Managerial & Behavioral Skills.* **(Special emphasis on observation of courtesies while dealing with the general public as well as public representatives)** |

**आदेश**—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ बिपार्ड, बिहार लोक सेवा आयोग, सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8.8.2011

(अजय कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक—18/प्रशि0—01—04/2011 सा0—8770/दिनांक— 8/8/11

प्रतिलिपि—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

8.8.2011

सरकार के संयुक्त सचिव

# ALL INDIA FEDERATION OF STATE CIVIL / ADMINISTRATIVE SERVICE ASSOCIATIONS

*(Registration No. : S/27332 of 1995 of Registrar of Societies, Government of Delhi)*

Dr. Jiban Chakraborty
**President**
91-98301-64536 (Mobile)
Email :jiban.chakraborty9@gmail.com

Shivdular Singh Dhillon
**Secretary General**
91-98142-72444 (Mobile)
Email: shivdular@yahoo.com

*Ref. No. AIF/45/2023* *Dated:25th March, 2023*

To

The Chief Secretary to the Government
Of Bihar, Patna

**Subject : Models Rules and Regulations for efficiently regulating the services of the SCS cadre across the country in a uniform manner – matter reg.**

Sir,

We are pleased to send herewith a complete and comprehensive set of model Rules and Regulations developed by the All India Federation of State Civil / Administrative Service Associations needed for the purpose of efficiently regulating the services of the State Civil Servants countrywide in a uniform manner. While carrying out the exercise, the AIF appointed Lajvir Singh Committee have meticulously studied the Rules and Regulations currently in force across the country besides conducting widest possible deliberative and consultative processes with almost all the stakeholders at multiple layers for more than two years.

It has been and continues to be the intention of the AIF to extend necessary help and assistance to the State/UT governments for effective management of the SCS cadre in the respective State/UT in a manner that satisfy their contemporary administrative needs within the constitutional framework and public policy towards good governance without in any way subordinating the legitimate rights of the SCS officers.

AIF sincerely hope and believe that the State/UT Governments will find it useful to meet the intended purpose and suitably notify government decision in this regard at its earliest convenience.

A copy of this set of Rules and Regulations is also being endorsed to the Ministry of Personnel &Training, DoPT, GOI for their information and necessary action.

Looking forward to your affirmative action,

Yours faithfully,

[Dr. Jiban Chakraborty]
President, AIF

Encl : A copy of the set of model Rules and Regulations

Copy to: President, Bihar Administrative Service Officers Associations.

अनुलग्नक -10

# Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna 800001
(Registration No 633/2011)
Website: basabihar.com, E-mail id: [illegible]@gmail.com

| | |
|---|---|
| **Shashank Shekhar Sinha**<br>President<br>Mob. No.- 9334118192 | **Anil Kumar**<br>General Secretary<br>Mob. No.- 9431409463 |

Memo No.- 07 Date- 06-01-20[illegible]

Vice President
[illegible]

Joint Secretary
[illegible]

[illegible] Sharan
[illegible]

Treasurer
[illegible]

Asst. Treasurer
[illegible]

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार।

**विषय:** बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996 (अधिसूचना संख्या 12/नि. 1035/91का. 2310, दिनांक 14.03.1997) में संशोधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के [illegible] के नाम [illegible] के बाद वर्ष 1992 में इस संवर्ग के पदाधिकारियों के सेवा [illegible] के नियंत्रण हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996 को 14 मार्च 1997 से [illegible] अधिसूचित किया गया था [illegible] तत्कालीन अधिसूचना [illegible] संलग्न है।

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी राज्य के राजस्व, विकास, नि[illegible] एवं आंतरिक [illegible] व्यवस्था संधारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के सफल निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं तथा प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। परन्तु सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में भूमिका निभानेवाले पदाधिकारियों के सेवा संवर्ग नियमावली में विगत 23 वर्षों से कोई संशोधन नहीं किया गया है।

भवदीय अवगत हैं कि आप ही की पहल पर वर्ष 2010 में इस सेवा संवर्ग की भूमिका को प्रशासन में बेहतर एवं प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन किया गया और पदाधिकारियों की संख्या को सीमित कर मात्र 851 रखी गई और [illegible] अपेक्षा थी कि महत्वपूर्ण पदों पर अपेक्षाकृत [illegible] पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाए, परन्तु आज की तिथि में भवदीय के [illegible] मंतव्य को [illegible] में क्रियान्वित नहीं किया जा सका और इसका परिणाम यह है कि [illegible] सेवा के पदों की संख्या लगभग दोगुनी (1600 से भी अधिक) [illegible] पर अधिकतर पद रिक्त [illegible]

# Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-633/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moezzuddin
9304951990

[illegible] Kumar
[illegible]

Joint Secretary
[illegible]
[illegible]

Gopal Sharan
[illegible]

Treasurer
[illegible] Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
[illegible] Jha
[illegible]


Memo No                                        Date

और वर्तमान स्थिति यह है कि जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति 1992 में हुई थी उनमें से भी अधिकांश अभी अपर समाहर्ता स्तर के पद पर ही कार्यरत हैं। [illegible] सेवा के ही अन्य संवर्ग के प्रोन्नति से यदि तुलना की जाए तो पता चलता है कि बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा, बिहार लेखा सेवा इत्यादि सेवाओं के समकक्ष पदाधिकारियों को काफी पहले ही संयुक्त सचिव स्तर के समकक्ष पदों पर प्रोन्नति दी जा चुकी है।

समय समय पर प्रोन्नति नहीं होने के कारण एवं दूसरी सेवाओं के कनीय पदाधिकारियों के वरीय स्तर के पद पर प्रोन्नति होने से इस सेवा के पदाधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही [illegible] सेवा संवर्ग नियमावली के नहीं होने के कारण भी इस तरह की विसंगति में वृद्धि होती जा रही है।

बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों में कालान्तर में इतनी विसंगतियाँ आ गई हैं कि इस संवर्ग के पदाधिकारियों के पदस्थापन या प्रोन्नति या वेतन विसंगति के मामलों में अपेक्षित एवं न्यायोचित लाभ समय पर [illegible] के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई ऐसे मामले हैं जिसे विभाग के स्तर पर निर्धारित अवधि में सामान्य तौर पर निष्पादित किया जा सकता था, परन्तु निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण संघ को बाध्य होकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है।

राज्य के कई सेवाओं के संवर्ग नियमावली में समय समय पर बिहार सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन किए गए हैं, यथा **बिहार न्याय (उच्च) सेवा नियमावली संशोधन, 2011**। किन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा, जो बिहार सरकार की कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग रहा है, अभी तक इस मामले में उपेक्षित है।

अन्य राज्यों में भी राज्य असैनिक/प्रशासनिक सेवा संवर्ग के नियमावली में समय समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन निम्न प्रकार से किए गए हैं:-

**(1) हरियाणा असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) नियमावली, 200**[illegible]

**(2) केरल प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2017**

# Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-633/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

**Shashank Shekhar Sinha**
President
Mob. No.- 9334118192

**Anil Kumar**
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

**Vice President**
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

**Joint Secretary**
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

**Treasurer**
Sunil Kumar Tiwary
9431089120

**Joint Treasurer**
Mona Jha
9430881025

Memo No

Date

(1) हरियाणा असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) नियमावली, 2008

(2) केरल प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2017

(3) जम्मू एवं कश्मीर प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2008

अतः महोदय से अनुरोध है कि देश के विभिन्न राज्यों के राज्य प्रशासनिक सेवा नियमावली के अनुकरणीय प्रावधानों का अंगीकार करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1996 में संशोधन करने तथा इस सेवा संवर्ग की विसंगतियों को दूर करने हेतु संबंधित को निदेश देने की कृपा की जाए ताकि इस संवर्ग के पदाधिकारियों को पदस्थापन/प्रोन्नति/वेतन/सेवा शर्तें जैसे सामान्य मामलों में भी समय पर न्यायोचित एवं अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन

/11/2020

(अनिल कुमार)